झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1287/2019

अवधेश कुमार पांडेय

.. ... प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. प्रवर्तन अधिकारी/भविष्य निधि निरीक्षक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, धनबाद, झारखंड
3. नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम

..... विपक्षी पार्टियाँ

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए:	श्री संजय पिपरावाल, एडवोकेट
राज्य के लिए:	श्री नविन कुमार सिंह, ए.पी.पी.
ओ.पी. नंबर 2 के लिए:	श्री सुमित प्रकाश, एडवोकेट
ओ.पी. नंबर 3 के लिए:	श्री संतोष कुमार झा, एडवोकेट

निर्णय

1. 07.03.2024 याचिकाकर्ता द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है, जिसमें विद्वान एस.डी.जे.एम, धनबाद द्वारा 2012 के ई.पी.एफ केस नंबर 02 (इंस्पेक्टर **ई.पी.एफ बनाम मैसर्स धनबाद नगर निगम और अन्य** के माध्यम से राज्य) में पारित

दिनांक 12.06.2019 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत नीचे के विद्वान न्यायालय ने सीआर.पी.सी की धारा 245 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है कि फ्रेम करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है याचिकाकर्ता के खिलाफ ई.पी.एफ और एम.पी अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) और ई.पी.एफ योजना, 1952 के पैरा 76 (ए) (डी) के तहत आरोप लगाया गया है।

2. दिनांक 20.09.2012 को एस.डी.जे.एम., धनबाद की अदालत में धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14(1ए), 14(1बी) और ई.पी.एफ योजना के पैरा-76 (बी) के तहत कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ भी शिकायत का मामला दर्ज किया गया था। (घ) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14(क), 14क(1), 14कक के साथ पठित 1952 में इस आधार पर संशोधन किया है कि नियोक्ता परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान की राशि का भुगतान उक्त अधिनियम की धारा 6क तथा पैरा-9 और (ग) के पैरा 39 के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 10 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 38(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 76(घ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14(आई ए), 14(2) और 14क के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952.

आगे यह भी कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 सी के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रांची द्वारा दी गई उपरोक्त अभियोजन के लिए उक्त मंजूरी (मूल रूप में) इसके साथ संलग्न है और यह आगे कहा गया था कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 14 (आई ए) के तहत आरोपी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय उक्त अधिनियम की धारा 14 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान श्री संजय पिपरावल, श्री नविन कुमार सिंह, विद्वान ए.पी.पी., श्री सुमित प्रकाश, ओ.पी नंबर 2 के विद्वान वकील और श्री संतोष कुमार झा, ओ.पी. नंबर 3 के विद्वान वकील को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.6.2019 का आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाना और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे की विद्वान अदालत, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, इस बात पर विचार करने में विफल रही कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) और ई.पी.एफ योजना, 1952 के पैरा 76 (ए) (डी) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और विद्वान न्यायालय ने देखा है कि ई.पी.एफ की धारा 14 (2) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर है और एम.पी अधिनियम 1952 और ई.पी.एफ योजना 1952 के पैरा - 76 (ए) (डी) के तहत, जो अवैध है और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के आदेश के विपरीत भी है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश अवैध है और 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 1246 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2016 के आदेश में निहित अवलोकन और निर्देश के विपरीत है और साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे की विद्वान अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रही कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) और ई.पी.एफ. योजना, 1952 के पैरा -76 (ए) और (डी) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे का विद्वान न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 ए सी के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान अभियोजन मामले को शुरू करने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है, बल्कि, मंजूरी केवल नियोक्ता के अभियोजन के लिए दी गई थी, अर्थात मैसर्स धनबाद नगर निगम।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे का विद्वान न्यायालय, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तरह याचिकाकर्ता को धनबाद नगर निगम द्वारा 24.02.2012 को शामिल होने से पहले की गई किसी भी अवैधता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे का विद्वान न्यायालय, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, यह भी विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता एक लोक सेवक है और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में आरोपी बनाया गया है और इस तरह की मंजूरी 197 सी.आर.पी.सी. के तहत अनिवार्य है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे का विद्वान न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विपक्षी पार्टी नंबर 2 द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे का विद्वान न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अनुलग्नक -2 के माध्यम से केवल धनबाद नगर निगम के अभियोजन के लिए मंजूरी दी है और इस तरह याचिकाकर्ता के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला ही सुनवाई योग्य नहीं है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि 20.9.2012 को संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 14.2.2014 को नीचे के विद्वान न्यायालय के समक्ष धारा 245 सी.आर.पी.सी. के तहत निर्वहन के लिए एक याचिका दायर की ताकि उसे वर्तमान अभियोजन मामले की देयता से मुक्त किया जा सके।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे के विद्वान न्यायालय ने 06.07.2015 को डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद, दिनांक 06.07.2015 के आदेश के संदर्भ में इसे खारिज करने की कृपा की थी

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2015 के आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/2015 (**अवधेश कुमार पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य**) में चुनौती दी थी।

यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/ 2015 की रिट याचिका (सिविल) पर अंतत एक समन्वय पीठ (श्री मि. इस न्यायालय के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय) और पक्षों को सुनने के बाद, समन्वय पीठ ने 24.08.2016 के आदेश के माध्यम से आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/2015 को निम्नलिखित **अवलोकन** के साथ पारित करने की अनुमति दी -

> "उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है और 2012 के ई पी एफ केस नंबर 02 में विद्वान सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है और मामले को वापस सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी मुद्दों पर विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए धनबाद को नियुक्त किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट आवेदन के अनुलग्नक -5 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2016 के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 25.02.2017 को नीचे के विद्वान न्यायालय के समक्ष 24.08.2016 के आदेश के साथ एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उसके बाद बिना किसी आधार के आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में, निम्नलिखित मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया है: -

> (i) **के.एन. गेंदा और अन्य आदि बनाम राज्य और आदि 1982** में रिपोर्ट की गई लैब आई.सी. **पृष्ठ 1777**
>
> (ii) **जसोदा ग्लास एंड सिलिकेट बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2002** में रिपोर्ट की गई।
>
> (iii) **अदोनी कॉटन मिल्स लि बनाम आरपीएफ कॉमर, 1995** में रिपोर्ट की गई।

6. दूसरी ओर, विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उपयुक्त एवं उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/2015 में पारित दिनांक 24.08.2016 के आदेश के आलोक में तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने नियोक्ताओं के योगदान को जमा नहीं करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया है और इसलिए इस आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

7. ओ.पी नंबर 2 के विद्वान वकील ने राज्य के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण को अपनाने के बाद प्रस्तुत किया है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उपयुक्त और उचित है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे के विद्वान न्यायालय ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246 में पारित दिनांक 24.08.2016 के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ई.पी.एफ. और एमपी अधिनियम, 1952) किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून है जो किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम कर्मचारियों को बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करने का भी प्रावधान करता है।

भविष्य निधि और अन्य योगदान नियोक्ता द्वारा अगले महीने की 15 तारीख तक जमा किए जाने चाहिए जिसमें कर्मचारी ने प्रतिष्ठान में काम किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिकों के वैध बकाया को जमा करने में विफलता के मामले में, ईपीएफओ, अधिनियम की धारा **7A** के तहत, नियोक्ता को कर्मचारी के वैध बकाया जमा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, अधिनियम की धारा **7A** के तहत श्रमिकों के बकाया का आकलन किया जाता है और नियोक्ता/प्रतिष्ठान को राशि जमा करने के लिए कहा जाता है।

तदनंतर, नियोक्ता द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान करने और उनके लिए निवारक के रूप में भी कार्य करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा **14B** और धारा **7Q** के अंतर्गत दंड और हर्जाना लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है।

प्रस्तुत है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एंड आर), क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा आदेश संख्या जेएच/आरओ/आरएनसी/सीसी/आवेदन/12/2290 दिनांक 19.09.2012 के माध्यम से अधिनियम की धारा 14, 14A के साथ पठित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 14 एसी के तहत निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार प्रतिष्ठान 1. मेसर्स धनबाद नगर निगम के खिलाफ अभियोजन दायर करने के लिए 2. अवधेश कुमार पांडे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति आदेश जारी किया गया था।

8. ओ.पी. नंबर 2 के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) **1964-65 में रिपोर्ट किए गए आरपीएफसी बनाम शिबू मेटल वर्कर्स (27) एफजेआर 491**,

(ii) **वर्ष 1962 में राज्य बनाम गिरधारी लाल बजाज की रिपोर्ट II एलएलजे 46 (बॉम. डीबी)**

यह प्रस्तुत किया गया है कि ई.पी.एफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत निहित विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने के लिए प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैसर्स धनबाद नगर निगम के साथ-साथ श्री अवधेश कुमार पांडे के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी आदेश जारी किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता श्री अवधेश कुमार पांडे, प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई.पी.एफ. और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। चूंकि याचिकाकर्ता इस संबंध में दिनांक 12.07.2012 को कारण बताओ नोटिस और दिनांक 07.09.2012 को

पत्र जारी किए जाने के बावजूद अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा, इसलिए तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

यह प्रस्तुत किया गया है कि मेसर्स धनबाद नगर निगम के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वैधानिक प्रावधानों का तत्काल अनुपालन करना याचिकाकर्ता का मुख्य कर्तव्य था, लेकिन याचिकाकर्ता को कई पत्राचार और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला सुनवाई योग्य और उचित है क्योंकि उसने ई.पी.एफ योजना, 1952 के पैरा 76 (ए) और (डी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत संज्ञेय अपराध किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे के विद्वान न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सामग्री की सराहना करने के बाद एक विस्तृत और तर्कपूर्ण बोलने का आदेश पारित किया है और उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत और ई.पी.एफ योजना 1952 के पैरा 76 (ए) और (डी) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर है, ओ.पी. नंबर 2 के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 12.07.2022 को एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7A के तहत जांच स्थापना (धनबाद नगर निगम) के खिलाफ डिफ़ॉल्ट अवधि 01/2011 से 04/2013 के लिए शुरू की गई थी और 4,58,896/- रुपये के बकाया के आकलन के लिए अंतिम आदेश जारी किया गया था, दिनांक 31.07.2019 को और इसे प्रतिष्ठान द्वारा 14.08.2019 को प्रेषित कर दिया गया है।

9. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 7A के तहत धनबाद नगर निगम के खिलाफ 01/2011 से 04/2013 तक की डिफ़ॉल्ट अवधि के लिए जांच शुरू की गई थी और कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा धनबाद नगर निगम के खिलाफ 31.07.2019 को 4,58,896 रुपये की बकाया राशि के आकलन के लिए अंतिम आदेश जारी किया गया था और धनबाद नगर निगम द्वारा 14.08.2019 को इसका भुगतान भी किया गया है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से यह स्पष्ट होगा कि नीचे के विद्वान न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि ई.पी.एफ अधिनियम की धारा 14 (2) और ई.पी.एफ योजना के पैरा -76 (ए) (डी) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इस तरह का आक्षेपित आदेश अवैध है।

10. ओ.पी. संख्या 3 के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय ने ई.पी.एफ. केस संख्या 02/2012 में विद्वान एस.डी.जे.एम., धनबाद द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के नॉन-स्पीकिंग आदेश को दरकिनार कर दिया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 12.06.2019 के बाद के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि आरोपित आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सराहना किए बिना पारित किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि नगर निगम धनबाद नियमित रूप से अंशदायी ईपीएफ राशि का भुगतान कर रहा है। ओ.पी नंबर 3 के विद्वान वकील ने ओ.पी नंबर 3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित चार्ट के माध्यम से ई.पी.एफ के लिए किए गए योगदान के भुगतान को भी संलग्न किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि आज तक धनबाद नगर निगम और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बकाया नहीं है और इसलिए, आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है।

11. इस मामले के रिकॉर्ड, ओ.पी. नंबर 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामा, ओ.पी. नंबर 3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामा और याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक शपथ पत्र का अवलोकन किया और दोनों पक्षों के प्रस्तुत पर विचार किया।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को 24.02.2012 को धनबाद नगर निगम, धनबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि 24.02.2012 को शामिल होने के बाद, याचिकाकर्ता नवंबर, 2012 से 14.01.2013 तक चिकित्सा अवकाश पर रहा।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत याचिका के अनुसार, कथित अपराध की अवधि का उल्लेख "जनवरी, 2011 से किया गया है और उस समय याचिकाकर्ता धनबाद नगर

निगम, धनबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/2015 दायर करके निम्न न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.7.2015 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ (न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय) द्वारा 24.08.2016 को निम्न टिप्पणियों के साथ मामले को निम्न न्यायालय को वापस भेजते हुए किया गया था:

> "*उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है और ई.पी.एफ. केस नंबर 02 ऑफ 2012 में विद्वान सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है और मामले को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद को वापस भेज दिया जाता है। कानूनी मुद्दे जो दोनों पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं।*"

ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246 में दिनांक 24.08.2016 के आदेश के तहत मामले को रिमांड करने के बाद, नीचे के विद्वान न्यायालय ने धारा 245 सीआरपीसी के तहत दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है।

> "*इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि इस समय, ई.पी.एफ. और एम.पी अधिनियम 1952 की धारा 14 (2) और ई.पी.एफ योजना-1952 के पैरा 76 (ए) (डी) के तहत चार्ज तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। याचिकाकर्ता अवधेश कुमार पांडे और मेसर्स धनबाद नगर निगम के खिलाफ है इसलिए, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता अवधेश कुमार पांडे द्वारा दायर याचिका मेरिट के बिना है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।*"

15. दिनांक 25.09.2012 को निरीक्षक-प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संस्थित शिकायत के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.पी. धनबाद नगर निगम और याचिकाकर्ता-अवधेश कुमार

पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धनबाद नगर निगम के रूप में काम करते हुए, परिवार पेंशन निधि के खाते में, जनवरी, 2011 के महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा-6A और कर्मचारियों के पैरा -9 और 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक महीने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर (यानी 25.09.2012) है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1971 के पैरा 39 के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 और 38(1) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 76(घ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14(A), 14(2) और 14क के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है।

हालांकि, यह पता चलता है कि पैरा 3, पैरा 4 (ए), पैरा 5, पैरा 6 को प्रवर्तन अधिकारी/भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा शिकायत दर्ज करने के समय नहीं भरा गया था और यहां तक कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दायर उक्त शिकायत में गवाहों के नामों का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

16. यह आश्चर्य की बात है कि शिकायत याचिका पर फ्लोरा एक्का, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, ई.पी.एफ.ओ., झारखंड द्वारा 25.09.2012 को हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इसे तत्कालीन विद्वान एस.डी.जे.एम, धनबाद द्वारा 20.09.2012 को देखा गया था। उक्त शिकायत दायर करना पूर्व दिनांकित प्रतीत होता है क्योंकि इसे विद्वान एस.डी.जे.एम द्वारा 20.09.2012 को देखा गया था, हालांकि शिकायतकर्ता-प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 25.09.2012 को हस्ताक्षरित किया गया था।

17. यह आगे बताता है कि 20.09.2012 को भी, विद्वान एस.डी.जे.एम ने ई.पी.एफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 14 (आईए), 14 (आईबी) के तहत मैसर्स धनबाद नगर निगम और याचिकाकर्ता-श्री अवधेश कुमार पांडे के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में संज्ञान लिया है।

18. पक्षकारों की दलील से यह भी प्रतीत होता है कि अनुबंध-2 के अनुसार, जो तत्कालीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एंड आर) क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड द्वारा जारी दिनांक 19.09.2012 का पत्र है, जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 14 एबी के तहत अपराधों के लिए नियोक्ता पर मुकदमा चलाने के

लिए शिकायत दर्ज करने की मंज़ूरी दी गई थी, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 76 (बी) (सी) और (डी) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत दंडनीय है।

19. यह पता चला है कि याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246/2015 के तहत दिनांक 6.7.2015 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा धारा 245 सीआरपीसी के तहत दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया गया था।

20. इसके बाद, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ, दोनों पक्षों के विद्वान वकील, यानी याचिकाकर्ता और ओ.पी 2 के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए। विद्वान एस.डी.जे.एम, धनबाद द्वारा ई.पी.एफ में पारित उक्त आदेश दिनांक 06.7.2015 को रद्द कर दिया था। 2012 का केस नंबर 02 और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद और साथ ही इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी मुद्दों पर विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए विद्वान एस.डी.जे.एम, धनबाद के समक्ष मामले को वापस भेज दिया था और 2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1245 में पारित उक्त आदेश दिनांक 24.08.2016 की प्रति है इस पुनरीक्षण आवेदन के अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न किया गया है।

21. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 के आलोक में नीचे के विद्वान न्यायालय के समक्ष 25.02.2017 को फिर से एक याचिका दायर की, हालांकि, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2019 द्वारा, तत्कालीन एस.डी.जे.एम, धनबाद ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1245/2015 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्देश का अनुपालन किए बिना याचिकाकर्ता की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को फिर से खारिज कर दिया है 24.08.2016 को। नीचे के विद्वान न्यायालय ने केवल दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को सुना है और इस आधार पर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था कि ई.पी.एफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत अभियुक्त-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।

22. इस स्तर पर, 2015 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1246 (अवधेश कुमार पांडे बनाम झारखंड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा, जिसके पृष्ठ संख्या 5 और 6 पर प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार हैं:

> *"आरोपों की अस्पष्टता के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है और यह कि शिकायत याचिका एक टाइप किया गया प्रारूप है जिसमें कुछ अप्रासंगिक पैराग्राफ डाले गए हैं, जो लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं हैं और दूसरी ओर कई पैराग्राफ जो याचिकाकर्ता के मामले में लागू किए जा सकते थे, उन्हें ठीक से नहीं भरा गया है। इस तथ्य के संबंध में भी तर्क दिया गया है कि मंजूरी दी गई है, संज्ञानण लेने वाले आदेश का हिस्सा नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा -76 के प्रावधानों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 6 के मद्देनजर विरोधी पक्ष नंबर 2 के विद्वान वकील द्वारा विवादित किया गया है और यदि मंजूरी आदेश को समग्रता में पढ़ा जाता है तो यह विभिन्न उल्लंघनों को इंगित करेगा निगम के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा भी बनाया गया था।*
>
> *याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क और विपरीत पार्टी नंबर 2 के विद्वान वकील द्वारा प्रतिवाद किए गए तर्क को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 245 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए आवेदन को खारिज करते समय उचित रूप से सराहना नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश वस्तुतः मामले के केवल तथ्यात्मक पहलू तक ही सीमित है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न भौतिक मुद्दों में प्रवेश किए बिना शिकायत दर्ज करने की तारीख तक जनवरी, 2011 के महीने के लिए कर्मचारियों के योगदान के हिस्से की भविष्य निधि राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। 06.07.2015 का आक्षेपित आदेश अपने आप में एक पूरी तरह से गैर-बोलने वाला आदेश है जो किसी भी कारण या किसी भी तथ्यात्मक या कानूनी पहलू को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो आक्षेपित आदेश का हिस्सा है ताकि याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 245 के तहत दायर डिस्चार्ज आवेदन की अस्वीकृति को सही ठहराया जा सके।*

चूंकि इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा फिर से सुना जाना चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है क्योंकि कानून के अनुसार विचार करने के लिए इसे ट्रायल कोर्ट के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है और 2012 के ई.पी.एफ केस नंबर 02 में विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.2015 को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है और मामले को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के साथ-साथ विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद को वापस भेज दिया जाता है विभिन्न कानूनी मुद्दों के बारे में जो दोनों पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं।"

23. ओ.पी. नंबर 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से यह भी प्रतीत होता है कि ई.पी.एफ अधिनियम की धारा 14एसी और ई.पी.एफ योजना, 1952 के पैरा 76 (ए) (डी) के तहत मंजूरी उचित रूप से दी गई थी। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को ई.पी.एफ और एमपी अधिनियम, 1952 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के बारे में पता था। लेकिन वह उक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा और यहां तक कि 12.07.2012 को कारण बताओ नोटिस और दिनांक 07.9.2012 का पत्र भी उसे जारी किया गया और कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.07.2012 और पत्र दिनांक 07.09.2012 की फोटोकॉपी को ओ.पी नंबर 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक बी श्रृंखला के रूप में संलग्न किया गया है।

24. दिनांक 12.07.2012 के कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ए.के.पांडेय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था, जबकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिनांक 07.09.2012 का पत्र भी जारी किया गया था।

25. हालांकि, याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल करके इनकार कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता को नोटिस और पत्र भेजने के संबंध में बयान भ्रामक और गलत है और सही नहीं है।

26. यह और स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एस.डी.जे.एम, धनबाद के समक्ष शिकायत मामला दर्ज करने के समय भी, कई पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ 3, 4A खाली हैं और उन्हें विधिवत भरा नहीं गया था और इस तरह नीचे के विद्वान न्यायालय ने भी एक अधूरे कागज पर संज्ञान लिया है, जो नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा दिमाग का पूर्ण गैर-उपयोग दर्शाता है।

27. यह **के.एन. गेंदा और अन्य आदि बनाम राज्य और आदि** के मामले में आयोजित किया गया है। **1982 लैब आईसी पृष्ठ 1777 में पैरा 10 में निम्नानुसार** रिपोर्ट किया गया है:

> *"**पैरा 10:** - श्री रॉय आगे प्रस्तुत करते हैं कि शिकायत की याचिकाओं में न्यूनतम बयान नहीं दिए गए हैं ताकि आरोपी व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ा जा सके। अपने तर्क के समर्थन में, श्री रॉय (1970) 1 SCC 665: AIR 1970 SC 1153 (सुप्रा) में रिपोर्ट किए गए निर्णयों को संदर्भित करते हैं; (1971) 3 एससीसी 189: एआईआर 1971 एससी 2162 (सुप्रा); 1981 (2) कैल एचएन 301 (सुप्रा); 1978 कैल एचएन 336: 1978 लैब आईसी 898, (महलदेरम टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीएन प्रधान) में रिपोर्ट किए गए बेंच के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। इस मामले में, यह माना गया था कि "एक कंपनी का निदेशक केवल पालन की जाने वाली नीति से संबंधित हो सकता है और उसके दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में कोई हाथ नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 14A के तहत इस तरह के अभियोजन से प्रतिरक्षा होनी चाहिए जिसके तहत एक कंपनी को मुख्य रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। यह भी माना गया कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे विद्वान मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट कर सके कि याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के व्यवसाय को चलाने में कुछ हिस्सा लिया था। शिकायत की याचिकाओं में इस तरह के बयानों के अभाव में, लिया गया संज्ञान कानून में गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की एक अन्य बेंच के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे 1979 सीआरआई एलजे 86, (जी।*

एथर्टन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड कलकत्ता निगम)। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक मामला था। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कंपनी को प्राथमिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। यह माना गया था कि "अन्य व्यक्तियों को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति कंपनी के प्रभारी थे या उसके दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। शिकायत की याचिका में इस बात का उल्लेख नहीं होने पर कि आरोपी व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कारोबार को कैसे अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती थी। हमें 1981 (2) कैल एचएन 301 (सुप्रा) में रिपोर्ट किए गए मामले का फैसला करते समय इन सभी निर्णयों पर विचार करना था। शिकायतों की याचिका के पैराग्राफ 3 में बस यह कहा गया है कि आरोपी नंबर 2 से 5 सभी भौतिक समय में प्रतिष्ठान के प्रभारी व्यक्ति थे और इसके व्यवसाय के संचालन के लिए इसके लिए जिम्मेदार थे। यही बात पैरा 5 में भी कही गई थी। हमारी राय में, ये कथन अभियुक्त को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 1982 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 805 का निपटारा करते समय हमारे द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि इन मामलों में भी शिकायत की याचिकाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए। परिणाम में, 1982 के आपराधिक पुनरीक्षण केस संख्या 805 में आवेदन सफल होता है और कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। 1980 के आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 1822 से 1826 में जारी नियमों को निरपेक्ष बनाया जाता है और कार्यवाही को रद्द किया जाता है।"

28. विद्वान न्यायालय नीचे यह भी तय करने में विफल रहा कि जहां तक इस याचिकाकर्ता का संबंध है, विभाग द्वारा मंजूरी ठीक से प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि तत्कालीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने धनबाद नगर निगम और याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज करने की मंजूरी दी थी, लेकिन तथ्य की बात के रूप में, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन केवल नियोक्ता के संबंध में शुरू किया गया था, मेसर्स धनबाद नगर निगम और याचिकाकर्ता को उक्त अवधि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वह जनवरी, 2011 से 23.2.2012 तक काम नहीं

कर रहा था और वह 24.2.2012 को धनबाद नगर निगम में शामिल हो गया था और जिसे ओ.पी नंबर 2 द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

29. यह आगे बताता है कि ओ.पी नंबर 3, यानी धनबाद नगर निगम ने भी 22.08.2022 को अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और जोर देकर कहा है कि धनबाद नगर निगम अंशदायी ई.पी.एफ राशि का भुगतान कर रहा था और उसी के समर्थन में जनवरी, 2011 से फरवरी तक ई.पी.एफ अंशदायी राशि का भुगतान दिखाने वाला एक चार्ट, 2015 को उक्त जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न किया गया है।

30. यह ओ.पी नंबर 3 के काउंटर एफिडेविट के अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न चार्ट से प्रतीत होता है कि भुगतान वर्ष 2018 में विचाराधीन अवधि के लिए किया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि स्थिति के अनुसार भुगतान की पुष्टि की गई है और यहां तक कि इस तथ्य को भी ओ.पी. नंबर 2 के लिए विद्वान वकील द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

31. यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अदोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ** के मामले में आयोजित किया गया है। **आर.पी.एफ. 1995 में सप्प (4) एससीसी 580 के पृष्ठ 3 और 4** पर निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया है-

> ***"पैरा 3*** *- हम नहीं समझते कि हमारे लिए उच्च न्यायालय के निर्णय या अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों के ब्यौरे में जाना आवश्यक है। लगभग 15 वर्ष पहले 1976 में कथित रूप से किए गए कुछ अपराधों के संबंध में अभियोजन शुरू किया गया था। हमें सूचित किया गया है कि दो अपीलकर्ताओं की बाद में मृत्यु हो गई है। आरोप लगाया गया अपराध अपीलकर्ता-कंपनी को रिसीवरशिप से मुक्त करने के तुरंत बाद चार महीने की छोटी अवधि के लिए अधिनियमों के तहत राशि जमा करने में विफलता है। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने इस शर्त पर अभियोजन के माध्यम से आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी कि अपीलकर्ताओं ने 40,000 रुपये की राशि जमा की और छह सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए 60,000 रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की। हमें सूचित किया गया है कि 40,000 रुपये की राशि जमा की गई है और 60,000 रुपये की बैंक गारंटी भी*

प्रस्तुत की गई है। हमें यह भी बताया गया है कि जिस राशि के संबंध में चूक हुई थी, वह भी लगभग 90,000 रुपये के आसपास होगी। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन के माध्यम से कार्यवाही को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि अदालत में जमा की गई और बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उचित खातों में जमा करने के लिए किया जाता है। अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमारे सामने कहा कि उन्हें पहले प्रतिवादी द्वारा अदालत में जमा 40,000 रुपये की राशि वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है और वे पहले प्रतिवादी को पहले से प्रस्तुत 60,000 रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए भी तैयार हैं।

पैरा 4: *- उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आक्षेपित नोटिसों द्वारा शुरू की गई अभियोजन की कार्यवाही को उपरोक्त शर्त के अधीन रद्द कर दिया जाना चाहिए कि 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान पहले प्रतिवादी को किया जाएगा जो 40,000 रुपये की राशि निकालने और 60,000 रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए स्वतंत्र होगा। हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं।"*

32. *यह* ***जसोदा ग्लास और सिलिकेट बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मामले में 2002 3 एलएलजे 1047 कैल पैरा 17, 18, 19, 23, 24, 25 और 26 में रिपोर्ट किया गया है: -***

*"**पैरा 17:-** श्री बिस्वास ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में चूक कई महीनों में की गई थी और इसलिए स्थिति यह था कि,* ***अदोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड*** *मामले (सुप्रा) के तथ्यों से काफी अलग है।*

पैरा 18: *- यह बताया गया था कि अपीलकर्ताओं को धारा 7-A कार्यवाही के बारे में विधिवत अधिसूचित किया गया था और अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया था, अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत मांग नोटिस का पालन करने में विफलता के बाद* ***कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952.*** *की धारा 7-A के तहत अधिनिर्णय के अनुसार उन्हें तामील किया गया था,*

पैरा 19:- *श्री बिस्वास ने प्रस्तुत किया कि इसी प्रश्न पर इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने हेवी मैकेनिकल लिफ्टिंग एंटरप्राइज बनाम भारत संघ के मामले में एक असूचित निर्णय में विचार किया था। भारत संघ और अन्य, 1993 के मामले संख्या 97 से एक अपील में। श्री बिस्वास ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में श्री भट्टाचार्य द्वारा भरोसा किए गए भविष्य निधि निरीक्षक, फरीदाबाद (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी उक्त अपील में डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया था और अंततः यह माना गया था कि 1952 अधिनियम की धारा 14 (1A) के तहत कोई भी व्यक्ति जो धारा 6 के प्रावधानों या उप-धारा (3) के खंड (A) के अनुपालन में चूक करता है। योजना की धारा 17 या पैरा 38 दंडित करने योग्य है। यह भी माना गया कि जब धारा 6 के तहत किए जाने वाले आवश्यक जमा के संबंध में चूक की गई थी, तो अपराध किया गया था, और बाद में कोई भी जमा अभियोजन पक्ष की छूट का कारण नहीं बन सकता था, लेकिन केवल कानून के अनुसार न्यूनतम सजा देने के लिए एक विचार हो सकता है।*

पैरा 23:- *हमने संबंधित पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और इस तथ्य को भी नोट किया है कि इस अपील में न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपीलकर्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा कर दी गई है। तथापि, तथ्य अभी भी यही है कि जैसे ही चूक हुई, इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध का गठन कर दिया।*

पैरा 24:- *उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, अदोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस पर शुरू की गई अभियोजन कार्यवाही को रद्द कर दिया कि 1952 अधिनियम की धारा 14 और 14-A के तहत चूक के लिए अभियोजन क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि चूक में राशि आंशिक रूप से जमा की गई थी और आंशिक रूप से सुरक्षित थी।*

पैरा 25:- *हमारे सामने मामले में, अपीलकर्ताओं ने सभी बकाया राशि भी जमा की है जो समय-समय पर पारित आदेशों के बल पर कथित रूप से बकाया थे।*

पैरा 26:- *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के मद्देनजर, हम अपीलकर्ताओं को प्रत्येक अलग शिकायत के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारासात, उत्तर 24 परगना के समक्ष अलग-अलग हलफनामा दायर करने की अनुमति के साथ अपील का निपटारा करते हैं, जिसमें प्रत्येक ऐसी शिकायत में चूक में राशि के भुगतान का विवरण दिया गया है। और यदि विद्वान मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि इस तरह के भुगतान विधिवत किए गए हैं, तो वह उस कार्यवाही को छोड़ने के लिए कदम उठाएगा जिसके संबंध में ऐसे भुगतान किए गए हैं।"*

33. ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.पी नंबर 3 ने भुगतान को अपडेट कर दिया है और हालांकि चूक कई महीनों से की गई है, लेकिन इसका भुगतान ओ.पी नंबर 3 द्वारा ओ.पी नंबर 2 के कार्यालय को किया गया है क्योंकि यह 22.08.2022 के काउंटर एफिडेविट में ओ.पी नंबर 3 द्वारा संलग्न भुगतान के चार्ट से पता चलता है और इस प्रकार, अब कोई बकाया नहीं है।

34. इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मामले को फिर से नीचे के विद्वान न्यायालय को भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि नीचे का विद्वान न्यायालय 28.04.2016 को 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 1246 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए दिनांक 12.06.2019 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय अपने उचित परिश्रम का प्रयोग करने में विफल रहा है।

35. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, विद्वान एस.डी.जेएम, धनबाद द्वारा 2012 के ई.पी.एफ केस नंबर 02 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2019, याचिकाकर्ता अवधेश कुमार पांडे की डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए, 2012 के ई.पी.एफ केस नंबर 02 (**इंस्पेक्टर ई.पी.एफ बनाम मेसर्स धनबाद नगर निगम और अन्य** के माध्यम से राज्य) के संबंध में याचिकाकर्ता अवधेश कुमार पांडे को बरी कर दिया गया है।

36. इस प्रकार, इस आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी जाती है।

37. इस आदेश की एक प्रति फैक्स द्वारा नीचे विद्वान न्यायालय को भेजी जाए।

(संजय प्रसाद, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 7 मार्च, 2024
ए.एफ.आर./एस.एम.

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।